भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 1277

सोमवार, 25 नवम्बर, 2019/4 अग्रहायण, 1941 (शक)

आईएफए चार्टर का संशोधन

1277. प्रो॰ रीता बहुगुणा जोशी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा 2005-06 के आईएफए चार्टर फंक्शन को कार्य की जटिलता को देखते हुए संशोधित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय में सरकार के संगठित लेखा और वित्त सेवाओं के आईएफए पदों को सीमित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): जी, हां। व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2006 में भारतीय अर्थव्यवस्था में और विश्व में उस समय हो रहे परिवर्तनों से तालमेल बनाए रखने के उद्देश्य से वित्त सलाहकारों के लिए पुन:परिभाषित चार्टर जारी किया था। वर्ष 2006 से, मध्यवर्ती वर्षों में सरकार के अपने कार्य संचालन के तरीके में अभिनव परिवर्तनों से सामंजस्य स्थापित करने के लिए वित्त सलाहकारों के पुन:परिभाषित चार्टर-2006 के पुनरावलोकन के लिए जून, 2018 में वित्त सलाहकारों की समिति गठित की गई थी। समिति ने अन्य वित्त सलाहकारों और हितधारकों के साथ गहन बातचीत के बाद अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। इन सिफारिशों की इस समय विभाग में जांच की जा रही है।

(ग) और (घ): जी, नहीं। आईएफए पदों को सरकार के संगठित लेखाओं और वित्त सेवाओं तक सीमित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****